पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-811

दिनांक 10.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शान्ति भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी छोटी घुसवाल में एक ही परिवार के लोग आपस में झगडा कर रहे है, प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 बादल सरोहा मय पुलिस टीम के रवाना होकर पहुंचे तो देखा कि हौसलाप्रसाद उर्फ रामतीर्थ पुत्र रामतीर्थ निवासी मुज्जफ्फरनगर घुसवल धाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष जो अपनी पत्नी सुमन व बच्चो से शराब पीने से रोकने की बात को लेकर झगडा कर रहा है।

जब पुलिस बल द्वारा हौसलाप्रसाद उर्फ रामतीर्थ उपरोक्त को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल की एक भी बात न मानकर और तेज तेज आवाज मे बोलने लगा व आमादा फौजदारी पर उतारू हो गया।

कोई संज्ञेय अपराध कारित होने से रोकने के दृष्टिगत अलावा गिरफ्तारी के अन्य कोई चारा न देख कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय-

1. हौसलाप्रसाद उर्फ रामतीर्थ पुत्र रामतीर्थ निवासी मुज्जफ्फरनगर घुसवल धाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-810
दिनांक-10.04.2025

जोन-दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **14 वर्षीय किशोर को डरा धमका कर कुल 12,50,000/- रुपये ले लेने वाले 07 नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया वाहन समेत डरा धमका कर लिये गये रूपयों से खरीदी गये 01 अदद मो0सा0 बुलेट, 01 अदद केटीएम, 01 अदद स्कूटी जूपिटर, 01 अदद आईफोन, 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग बरामद।**
- **कब्जे से कुल 01 लाख 49 हजार रुपये बरामद।**
- **कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा 14 वर्षीय किशोर को डरा धमका कर कुल 12,500,00/-रुपये ले लेने वाले 07 नफर बाल अपचारी को दिनांक 09.04.2025 को पुलिस संरक्षण में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.04.2025 को वादी मुकदमा श्री चन्द्रभान पुत्र श्री रामखेलावन निवासी अलीनगर सुनहरा कृष्णानगर कमि0 लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0157/2025 धारा 119(1)/115(2)/352/351(2) भारतीय न्याय संहिता कोतवाली कृष्णानगर कमि0 लखनऊ, बनाम- 07 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध बाबत नामित अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को मारपीट एवं डरा धमका कर कई बार में कुल 12,50,000/-रूपये ले लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन,सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 07 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01- मु0अ0सं0-0157/2025 धारा 119(1)/115(2)/352/351(2) भारतीय न्याय संहिता कोतवाली कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

04-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

संरक्षण में लिये गये बालअपचारियों ने पूछताछ में बताया कि अपने साथियों के साथ दिनांक 02.04.2025 को वादी के पुत्र को मारपीट व डरा धमका कर 05 लाख रुपये ले लिये थे, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने वादी के पुत्र को डरा धमकाकर कई बार पैसे ले चुके हैं। जिसको हम सभी ने आपस में बांट लिया था। हम सभी ने प्राप्त रुपयों से अलग-2 गाडियां एवं मोबाइल फोन अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदे थे, जिससे पकड़े न जाएं। सभी बाल अपचारी स्टूडेन्ट हैं जिनके द्वारा अपने साथी विद्यार्थी को डरा धमका कर रुपये लिया गया था।

05-गिरफ्तार/संरक्षण में लिए गये अभियुक्तों का विवरण-

1. 07 नफर बाल अपचारी

06-बरामदगी–

- 01 अदद मो0सा0 बुलेट UP32GX9661
- 01 अदद केटीएम चेचिस नम्बर – MD2JPCXH3RN039687
- 01 अदद स्कूटी जूपिटर चेचिस नम्बर -MD626EG5XS3C12598,
- 01 अदद चार पहिया वाहन वैन्यू नं0- UP 32 PW 7150
- 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग फ्लिप -4,
- 01 अदद आईफोन मोबाइल
- कुल 01 लाख 49 हजार रुपये।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-813
दिनांक-10.04.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **डीसीपी पश्चिमी क्राइम टीम व काकोरी पुलिस टीम एवं मलिहाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 25000 रुपये का ईनामिया अभियुक्त रशीद उर्फ पप्पू व उसके साथी इस्लाम को मुठभेड के दौरान किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त द्वारा घटना में 01 अदद तमंचा .315 बोर,01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर , 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर को किया बरामद ।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0 एचएफ डीलक्स बरामद।**
- **01 अदद बांका लोहे का ,03 अदद चाकू ,01 अदद कुल्हाडी, 01 अदद रेती, 01 रस्सी ,01 पगहा, 01 जूट का बोर ,03 अदद बोरी प्लास्टिक ,01 अदद तिरपाल बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक-09/10.04.2025 को जरिये मुखबिर खास से सूचना मिली कि थाना मलिहाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 60/25 धारा 325 बीएनएस 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त रशीद उर्फ पप्पू पुत्र खैराती नि0 बंजारन खेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ व उसका साथी इस्लाम फिर से घटना कारित करने जा रहे है।

इस सूचना पर क्राइम टीम (डीसीपी पश्चिमी) व थाना काकोरी एवं थाना मलिहाबाद की संयुक्त टीम द्वारा सैफलपुर नहर पट्टी पर घेराबंदी की गयी, तो 02 व्यक्ति मोटरसाईकिल से आ रहे थे, शक होने पर पुलिस द्वारा उन्हे रोका गया तो उसमें से अभियुक्त रशीद उर्फ पप्पू उपरोक्त द्वारा पुलिस के उपर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस बल द्वारा अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में रशीद उर्फ पप्पू उपरोक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो जाने पर पुलिस द्वारा सरकारी गाड़ी से तत्काल केजीएमयू ट्रामा सेन्टर ले जाया गया जहां अभियुक्त का इलाज चल रहा है।

अभियुक्त रशीद उर्फ पप्पू उपरोक्त थाना रहीमाबाद से हिस्ट्रीशीटर तथा 25 हजार रूपये का इनामिया था, उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स, 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद मिस कारतूस व 500 रूपये नगद बरामद हुए, अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का साथी इस्लाम पुत्र हुसैन मोहम्मद निवासी बंजारनखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ जो मौके से भाग गया था जिसे कुछ समय बाद पकड लिया गया जिसके पास से 01 जूट के बोरे में 01 प्लास्टिक का काले रंग का तिरपाल, 03 अदद बोरी प्लास्टिक की रंग सफेद, जानवर बांधने के लिए 01 अदद रस्सी लम्बाई लगभग 7 मीटर, 01 अदद पगहा लम्बाई लगभग 3 मीटर, 01 चेकदार तौलिया में लपेटे हुए 03 अदद लोहे की चाकू, 01 अदद बांका, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद रेती को बरामद करते हुए मु0अ0सं0 105/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तण को गिरफ्तार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य-

अभियुक्तगण द्वारा गोकशी करना।

03-गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों का विवरण-

1. रशीद उर्फ पप्पू पुत्र खैराती अहमद निवासी बंजारनखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष (घायल)
2. इस्लाम पुत्र हुसैन मोहम्मद निवासी बंजारनखेड़ा थाना रहिमाबाद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष (गिरफ्तार)

04-बरामदगी-

- 01 अदद तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस
- 01 अदद खोखा कारतूस
- 01 अदद मिस कारतूस
- 01 अदद मो0सा0 HF Deluxe रंग काला जिसका चेचिस नम्बर MBLHAC045M9F53851।
- 01 अदद बांका लोहे
- 03 अदद चाकू
- 01 अदद कुल्हाडी
- 01 अदद रेती
- 01 अदद रस्सी
- 01 अदद पगहा
- 01 अदद जूट का बोर
- 03 अदद बोरी प्लास्टिक
- 01 अदद तिरपाल।

05- आपराधिक इतिहास-

रशीद उर्फ पप्पू पुत्र खैराती अहमद निवासी बंजारखेडा थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष

1. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 325 बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 109 बी0एन0एस0, धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधि0 थाना काकोरी लखनऊ
3. मु0अ0सं0 08/13 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मलिहाबाद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 395/13 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मलिहाबाद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 408/13 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मलिहाबाद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 421/13 धारा 3/8 गोवध नि0 अधि0 व 07 सीएलए एक्ट थाना मलिहाबाद लखनऊ
7. मु0अ0सं0 76/19 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना मलिहाबाद लखनऊ
8. मु0अ0सं0 149/22 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नि0 अधि0 थाना मलिहाबाद लखनऊ
9. मु0अ0सं0 346/19 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना मलिहाबाद लखनऊ
10. मु0अ0सं0 03/20 धारा 3/8 गोवध नि0 अधि0 थाना माल लखनऊ

इस्लाम पुत्र हुसैन मोहम्मद निवासी बंजारनखेडा थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष

1. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 325 बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 105/2025 धारा 109 बी0एन0एस0, धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधि0 थाना काकोरी लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

डीसीपी क्राइम टीम	**काकोरी पुलिस टीम**	**मलिहाबाद पुलिस टीम**
उ0नि0 श्री आशीष बालियान	प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद	उ0नि0 सैय्यद हुसैन
उ0नि0 श्री अंकित कुमार	उ0नि0 श्री अंशुमान कुमार	उ0नि0 अनिल कुमार
हे0का0 वीर सिंह	का0 रोहित कुमार	का0 सुशील कुमार
हे0का0 प्रदीप तिवारी	का0 धीरेन्द्र मौर्या	
का0 आशीष कुशवाहा		

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-809
दिनांक-10.04.2025

जोन पूर्वी/ थाना आलमबाग

- **गुमशुदा मोबाईल फोन (कीमत करीब 14,000/- रुपये) को उसके वास्तविक धारक को सुपुर्द किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण :–

थाना आलमबाग लखनऊ के CEIR पोर्टल पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु श्री अभय प्रताप मल्ल सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट लखनऊ व निरीक्षक सुभाष चन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना आलमबाग लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन को उसके वास्तविक मोबाइल धारक को सुपुर्द किया गया। खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारक द्वारा पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

02-बरामदगी-

1. Realme 2pro कीमत लगभग-14,000/- रूपये

03-बरामद करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्र0नि0 सुभाष चन्द्र थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 पंकज कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
3. कम्प्यू0 आपरेटर जयराम पाल थाना आलमबाग लखनऊ

04-सलाह / अपील–

अगर मोबाइल फोन गुम हो जाये तो ये कदम भी उठाए जा सकते है:-

- सबसे पहले, UPCOP पर LOST ARTICLE पर अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- फिर, पुराने सिम को ब्लॉक करने और नया सिम लेने के लिए, नजदीकी सिम सेवा प्रदाता स्टोर पर जाएं
- CEIR पोर्टल पर जाएं और BLOCK STOLEN/LOST MOBILE पर विवरण दर्ज करें ।
- फार्म मे पुलिस कंप्लेंट नंबर दर्ज करे ।
- अपना नाम, पता, पहचान पत्र और ई मेल आईडी दर्ज करे
- फार्म सबमिट हो जाने के बाद, एक शिकायत आईडी मिलेगी।
- इस आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-808
दिनांक-10.04.2025

जोन मध्य/थाना गौतमपल्ली

- भीड़-भाड़ वाली जगहों व चौराहों पर गाड़ी का गेट खटखटाकर टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश।
- गिरोह के कुल 04 शातिर टप्पेबाज अभियुक्त गिरफ्तार।
- कब्जे से 09 अदद आई फोन समेत कुल 23 अदद मोबाइल फोन (कीमत करीब 09 लाख 50 हजार रूपये) व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद।
- थाना गौतमपल्ली व आईटीएमएस की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में व पुलिस उपायुक्त (मध्य), एवं अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) के कुशल पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस आयुक्त, हजरतगजं के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार अम्बष्ट थाना गौतमपल्ली लखनऊ की टीम द्वारा आईटीएमएस के सहयोग से दिनांक-10.04.2025 को मु0अ0सं0 17/2025 धारा 318(l)/303(2) बीएनएस थाना गौतमपल्ली लखनऊ से संबंधित 04 शातिर टप्पेबाज अभियुक्तों 1.रवीन्द्र कुमार पुत्र सुक्खन सिंह निवासी ग्राम हरिपुर नगर थाना बालेनी जिला बागपत उम्र 26 वर्ष 2.रिजवान पुत्र सलीम निवासी पुरवा फयाज अली हीरा पेड़े वाली की गली थाना देहली गेट जिला मेरठ उम्र 32 वर्ष 3.रिज्जू उर्फ रिजवान पुत्र मो0इमरान निवासी मेहताब सलीमा गली ढोलकी मोहल्ला बगला एरिया थाना कैण्ट जिला मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष 4.अजीम पुत्र तसलीम निवासी चौबे बजरिया हींग वाली गली थाना रेलवे रोड़ जिला मेरठ उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.04.2025 को वादी मुकदमा श्री संतोष कुमार वर्मा निवासी-ए-1167 सेक्टर आई एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ द्वारा वादी की गाड़ी वाहन संख्या- UP32QF3020 से धोखाधड़ी पूर्वक दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बातों मे उलझाकर कार की सीट पर रखा मोबाइल SAMSUNG-Z FOLD-6 तथा पर्स (पर्स में 8000/-रूपये, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ,आधार कार्ड ,ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य कई कागजात) चोरी कर भाग जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा लिखित तहरीर प्रस्तुत किया ।

वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/2025 धारा 318(l)/303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया। प्रकरण में गंभीरता से लेते हुये डीसीपी मध्य महोदय द्वारा घटना के त्वरित खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया।

घटना के सफल अनावरण में लगी पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के क्रम में घटना स्थल के आसपास के करीब 125 सीसीटीवी फुटेज चेक किये गये। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रानिक व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त मे पतारसी सुरागरसी करते हुये क्षेत्र मे मामूर थी कि 5 विक्रमादित्य के सामने अँधेरे में एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दी।

पुलिस बल द्वारा संदिग्ध गाड़ी को रोककर गाड़ी में मौजूद 04 व्यक्तियों को रोककर नियमानुसार हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गयी तो चारों व्यक्तियों ने क्रमशः अपना नाम रवीन्द्र कुमार 02-रिजवान 03. रिज्जू उर्फ रिजवान 04. अजीम बताया। हिरासत में लिए गये अभियुक्तों व गाड़ी की तलाशी ली गयी तो उनके पास से व कार में एक बैग में रखे कुल 23 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन व 1650/-रूपये बरामद किये गये।

बरामद मोबाइल फोन व पैसों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर हिरासत में लिए अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.04.2025 को हम सभी लोगों ने मिलकर रात 8.00 बजे के आसपास एक स्कूल के पास चौराहे से धोखाधड़ी करते हुए एक मोबाइल व पर्स चोरी कर लिए थे पर्स में कुल ₹8000/- मिले जिसे हम चारों लोगों ने बराबर बांट लिया था और पैसे तो खर्च हो गए हम लोगों के पास जो पैसे बचे हुआ है वह उसी घटना का शेष पैसा है।

कड़ाई से पूछताछ किया गया तो चारों लोगों द्वारा बताया गया कि साहब ये सब मोबाइल चोरी के हैं हम चारों लोगों ने मिलकर चोरी किए हैं। हम लोग किसी ऐसी गाड़ियों को भीड़-भाड़ वाली जगहों, चौराहों एवं ट्रैफिक सिग्नल पर रोकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा होता है हम लोग उसे बातों में उलझा कर गाड़ी में जो भी सामान मिलता है चोरी कर लेते हैं और हम सभी मोबाइलों को बेचकर अपने-अपने शौक पूरा करते हैं।

मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्तगण-

1.रवीन्द्र कुमार पुत्र सुक्खन सिंह निवासी ग्राम हरिपुर नगर थाना बालेनी जिला बागपत उम्र 26 वर्ष

2.रिजवान पुत्र सलीम निवासी पुरवा फयाज अली हीरा पेड़े वाली की गली थाना देहली गेट जिला मेरठ उम्र 32 वर्ष

3.रिज्जू उर्फ रिजवान पुत्र मो0 इमरान निवासी मेहताब सलीमा गली ढोलकी मोहल्ला बगला एरिया थाना कैण्ट जिला मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष

4.अजीम पुत्र तसलीम निवासी चौबे बजरिया हींग वाली गली थाना रेलवे रोड़ जिला मेरठ उम्र 34 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये किये अभियुक्तों के पास से बरामदशुदा 23 अदद विभिन्न कम्पनियों के स्मार्टफोन व 1650/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद गाड़ी वाहन सं0 DL 9CU 2491 (होन्डा सिटी) को मुकदमा उपरोक्त में दाखिल कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया। मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत साक्ष्य के आधार पर धारा 318(4)/305/317(2)) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व धारा 303(2) का विलोपन किया गया है । मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अंतर्गत धारा 318(4)/305/317(2) बीएनएस की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -</u>

01.रवीन्द्र कुमार पुत्र सुक्खन सिंह निवासी ग्राम हरिपुर नगर थाना बालेनी जिला बागपत उम्र 26 वर्ष

2.रिजवान पुत्र सलीम निवासी पुरवा फयाज अली हीरा पेड़े वाली की गली थाना देहली गेट जिला मेरठ उम्र 32 वर्ष 3.रिज्जू उर्फ रिजवान पुत्र मो0इमरान निवासी मेहताब सलीमा गली ढोलकी मोहल्ला बगला एरिया थाना कैण्ट जिला मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष

4.अजीम पुत्र तसलीम निवासी चौबे बजरिया हींग वाली गली थाना रेलवे रोड़ जिला मेरठ उम्र 34 वर्ष

<u>गिरफ्तारी स्थान व समय व दिनांक</u>

5, विक्रमादित्य मार्ग, थाना गौतमपल्ली लखनऊ से दिनांक 10.04.2025 समय करीब 03.30 बजे प्रातः

अपराध का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा लखनऊ जनपद में आकर भीड़ भाड़ वाली जगहों, चौराहों व ट्रैफिक सिग्नल पर रुके वाहनों का गेट खटखटा कर अपनी बातों में उलझाकर व वाहन में टक्कर होने का बहाना कर वाद विवाद कर ध्यान भटकाकर लोगों से टप्पेबाजी कर उनके कीमती सामान को चोरी कर लेना व जनपद छोड़कर फरार हो जाना।

बरामदगी

- 23 अदद विभिन्न कम्पनियों के स्मार्टफोन **(कीमत करीब 09 लाख 50 हजार रूपये)**
- 1650/- रुपये नगद
- 01 बैग सफेद
- 01 अदद गाड़ी वाहन सं0 DL 9CU 2491(होन्डा सिटी)

पंजीकृत/अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं 17/2025 धारा 318(4)/305/317(2) बीएनएस थाना गौतमपल्ली लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त (रिजवान)

01-मु0अ0सं0-46/2010 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना देहली गेट जनपद मेरठ

02-मु0अ0सं0 -313/2014 धारा 379/411 आईपीसी थाना देहली गेट जनपद मेरठ

03-मु0अ0स0- 179/2021 धारा 60 आबकारी अधि0- देहली गेट जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार अम्बष्ट थाना गौतमपल्ली लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय थाना गौतमपल्ली लखनऊ
3. उ0नि0 शैलेश कुमार थाना गौतमपल्ली लखनऊ
4. उ0नि0 आदित्य सिंह थाना गौतमपल्ली लखनऊ
5. हे0का0 फूल सिंह थाना गौतमपल्ली लखनऊ
6. हे0का0 इन्द्रजीत सिंह थाना गौतमपल्ली लखनऊ
7. का0 नागेश कुमार थाना गौतमपल्ली लखनऊ
8. का0 सचिन कुमार थाना गौतमपल्ली लखनऊ
9. का0 प्रियांशु थाना गौतमपल्ली लखनऊ

आईटीएमएस टीम

01.टीएसआई- सुधीर बाबू आईटीएमएस लखनऊ
02. टीएसआई- सुमित कुमार आईटीएमएस लखनऊ
03.टीएसआई हर्षित सिंह आईटीएमएस लखनऊ
04. का0 अनुप कुमार आईटीएमएस लखनऊ

टैक्नोसिस टीम कर्मचारी

01. श्रीमती सुष्मिता मिश्रा
02. सचिन पाल
03. शैलेश कुमार